Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to Increase the Income Limit of Beneficiaries under the National Food Security Act, 2013- Laid.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में 8 वर्ष पहले अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। 75% ग्रामीण और 50% शहरी गरीब आबादी इस लैंडमार्क अधिनियम के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है। इसके अधिनियम के बाद से लाभार्थियों की पात्रता के लिए आय सीमा 8 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। अब इसके लागू होने के 8 साल बाद हर घर की आमदनी के साथ-साथ रहने का खर्च भी काफी बढ़ गया है। इस प्रकार, इस योजना के लाभार्थी अपनी वास्तविक आय को छुपा रहे हैं और इस अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं।

पिछले 8 वर्षों के दौरान हर घर की आय और रहने की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया इसके तहत लाभार्थियों की आय सीमा बढ़ाने पर विचार करें और उचित कार्यवाही करें।